राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या ....858/2010 ....जिला..........जयपुर...

उनवान — मै. प्रताप राजस्थान कॉपर फॉयल्स एण्ड लेमिनेट्स लि., जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत ई, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.01.2017	**खण्डपीठ कैम्प जयपुर** **श्री खेमराज, अध्यक्ष** **श्री सुनील शर्मा, सदस्य** अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उनके प्रतिनिधि श्री रमेश चन्द गुप्ता एवं विभागीय पैरोकार श्री एन.के.बैद उपस्थित। प्रकरण संख्या 858/2010 वर्ष 1994–95 के कर निर्धारण से संबंधित है, जिसमें उपायुक्त (अपील्स), चतुर्थ, वाणिज्यिक कर, जयपुर के आदेश दिनांक 15.01.2010 को विवादित किया गया है। परन्तु अपीलार्थी व्यवहारी की इस अपील को उपायुक्त (अपील्स), चतुर्थ, वाणिज्यिक कर, जयपुर ने राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1984 की धारा 84(3) के तहत् विवादित राशि की निर्धारित राशि जमा नहीं करवाये जाने के फलस्वरूप अपील पंजीकृत योग्य नहीं माना था, और अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार कर दी थी। उपायुक्त (अपील्स), चतुर्थ, वाणिज्यिक कर, जयपुर के उक्त आदेश को कर बोर्ड के समक्ष विवादित किया गया है। जिसमें आज ग्राहयता के बिन्दु पर सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा विवादित बकाया राशि की निर्धारित राशि जमा नहीं करवाये जाने से अवगत कराया। व्यवहारी फर्म द्वारा आज दिनांक तक उक्त राशि जमा नहीं करवाये जाने की पुष्टि कर बोर्ड के समक्ष उनके अभिभाषक श्री रमेश चन्द गुप्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र से भी होती है। जिसकी प्रति अपील रिकार्ड में रखी जाये। अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील, ग्राहयता के बिन्दु पर अस्वीकार की जाती है। निर्णय सुनाया गया । सदस्य राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर अध्यक्ष राजस्थान कर बोर्ड अजमेर	